मई, 2009 माह के लिए एमसीएल में कोयला की बिक्री के लिए 'स्पॉट ई-ऑक्शन स्कीम, 2007

स्पॉट ई-नीलामी योजना 2007 के नियम एवं शर्तें

उद्देश्य: ई-नीलामी के माध्यम से ऐसे खरीदार के लिए जो उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से कोयला प्राप्त नहीं कर सकता उन्हे कोयला उपलब्ध कराने की दृष्टिकोण से ई-नीलामी के माध्यम से कोयला वितरण करने की शुरूआत की गई है। लंबे समय से यह आशा की जाती रही है कि ई-नीलामी देश में स्पॉट के साथ साथ कोयले का भावी बाजार निर्माण में सहायता कर सकता है।

ई-नीलामी का उद्देश्य सभी इच्छुक खरीदारों के लिए एकल विंडो सेवा के माध्यम से कोयला खरीदने का समान अवसर प्रदान करना है।

कोयले के विपणन और वितरण की एक सरल, पारदर्शी, उपभोक्ता अनुकूल प्रणाली के माध्यम से कोयला खरीददरों के सभी वर्गों के लिए देश भर में व्यापक पहुंच से कोयला ऑनलाइन बुक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरुआत की गई है।

निबंधन एवं शर्तें

स्पॉट ई-नीलामी के लिए 'ई-नीलामी योजना 2007' के पैरा VI (4) के संदर्भ में विस्तृत निबंधन एवं शर्तें नीचे दी गई हैं:

1. **पात्रता:**
   कोई भी भारतीय खरीदार (जैसे व्यक्ति, साझेदारी फर्म, कंपनियां आदि) कोयले की खरीद के लिए ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं।

2. **पंजीकरण:**

2.1 ई-नीलामी में भाग लेने से पहले, इस उद्देश्य के लिए एक संभावित खरीदार को वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन प्रस्तुत कर स्वयं/उसको को सीआईएल/कोयला कंपनियों द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी। आवेदन आवश्यक दस्तावेज के साथ सेवा प्रदाता द्वारा यथा निर्धारित जैसे आयकर रिटर्न की कॉपी (नवीनतम), पैन नंबर, बिक्री कर /वैट पंजीकरण प्रमाणपत्र, एसएसआई पंजीकरण, व्यापार लाइसेंस, यदि लागू हो, पासपोर्ट का आकार का फोटोग्राफ आदि के साथ आवेदन करना होगा। पंजीकरण या तो ऑनलाइन या सेवा प्रदाता के किसी भी कार्यालय में किया जा सकता है।

2.2 पंजीकरण के बाद सभी संभावित खरीदार के पास स्व जनित यूनिक यूजर आईडी और पासवर्ड होगा जिसके आधार पर वे लॉग इन कर सकते है। सेवा प्रदाता के साथ पंजीकरण प्रक्रिया का विस्तृत विवरण संबंधित वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2.3 सेवा प्रदाता अपने पंजीकृत बोलीदाताओं को "फोटो पहचान पत्र", पहचान और हस्ताक्षर, एक "यूनिक पंजीकरण संख्या" उचित रूप से जारी करेगा। सेवा प्रदाता द्वारा पंजीकृत बोलीदाताओं का "यूनिक पंजीकरण संख्या" कोयला कंपनियों को भेजा जाएगा।

2.4 एक पैन संख्या पर एक ही पंजीयन किया जाएगा। यद्यपि एक से अधिक स्वतंत्र वैध विक्रय आर पंजीयन के आधार पर एक पैन संख्या पर एक से अधिक पंजीयन को मान लिया जाएगा। ऐसे मामलों में वैध विक्रय आर पंजीयन की विस्तृत जानकारी प्रत्येक "फोटो पहचान पत्र",में अंकित की जाएगी।

2.5 सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत सभी खरीददार को बिना ब्याज के बयाना राशि (ईएमडी) को ग्रेड-एफ़ के लिए रु. 400/- प्रति टन की दर से तथा ग्रेड-ई और उससे ऊपर के सभी के लिए रु. 500/- प्रति टन की दर से सेवा प्रदाता के साथ पूरा करना होगा। यह बयाना किसी विशेष अनुषंगी कंपनी के लिए विशिष्ट नहीं होगी तथा सेवा प्रदाता के साथ सीआईएल की सभी अनुषंगी कोयला कंपनी के लिए उपलब्ध होगी साथ ही आवश्यक बयाना राशि सेवा प्रदाता के साथ बोलीदाताओं के खाता संख्या भी उपलब्ध होंगे।

2.6 01 मार्च, 2009 से ग्रेड- ई और इससे ऊपर के ग्रेड सभी लिए ईएमडी को रु. 400 (चार सौ रुपए) प्रति टन से 500 (पाँच सौ रुपए) प्रति टन तक संशोधित व बढ़ाया जाएगा। ग्रेड-एफ़ और उससे नीचे के लिए रु. 400 (चार सौ रुपए) प्रति टन ही रहेगी।

3. अधिसूचना:-

3.1 कोयला कंपनियां प्रति माह कम से कम दो ई-नीलामी आयोजित करने के लिए कार्यक्रम लाएंगी और उसे न्यूनतम 7 (सात) दिनों में कंपनी के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित और कोल कंपनी की वेब साईट पर व्यापक प्रचार के माध्यम से अधिसूचित करेगी। तदनुसार सेवा प्रदाताओं को उसकी वैबसाइट पर कार्यक्रम की सूचना दी जाएगी।

3.2 रेल और सड़क माध्यम द्वारा प्रेषण के लिए अलग नीलामी होगी। सड़क माध्यम द्वारा प्रेषण के लिए बोली के लिए न्यूनतम मात्रा 50 (पचास) टन होगी, जहां रेल माध्यम द्वारा प्रेषण के लिए बोली के लिए न्यूनतम मात्रा 1 (एक) रेक होगी। रेक का आकार प्रचलित रेलवे नियम के अनुसार होगा। एक रेक में कोयले की मात्रा ई- नीलामी की सूचना में अंकित मात्रा के अनुसार होगी।

3.3 क्रेता को रेल माध्यम द्वारा ई-नीलामी में भाग लेने से पहले रेलवे से रेक फिट स्टेशनों/गंतव्यों तक अपने आप को/स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए। मौजूदा रेलवे नियमों के तहत प्रयोग किए गए विकल्प के बाद रैक-फिट स्टेशनों/गंतव्य के कारण रेलवे द्वारा अस्वीकार किए जा रहे कार्यक्रम की स्वीकृति को खरीददार के संबंधित ईएमडी को जब्त कर असफल माना जाएगा।

4. बोली प्रक्रिया:-

4.1 पंजीकृत बोलीकर्ताओं को वास्तविक बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पहले ई-नीलामी के सभी नियमों एवं शर्तों को जानने तथा स्वीकृति को रेकॉर्ड करने की आवश्यता होगी।

4.2 ई-नीलामी में भाग लेने से पहले, बोलीदाता स्रोतो से दिए जा रहे कोयले की गुणवत्ता से संतुष्ट हो जाए।

4.3 भावी बोलीदाताओं को बोली लगाने के लिए ईएमडी की मात्रा बढ़ाने का अधिकार है जो बोलीदाता के खाते में सेवा प्रदाता के साथ बोली-प्रक्रिया के समय उपलब्ध है।

4.4 खरीददार बोली लगाते समय एफ़ओआर/एफ़ओबी कोलियरी आधार पर भारतीय रुपए में प्रति टन अपना "बोली मूल्य" का वर्णन करेंगे। अन्य शुल्क जैसे वैधानिक लेवी, सतह परिवहन प्रभार, आकार / लाभकारी शुल्क, कर, उपकर, रॉयल्टी, एसईडी, और सुपुर्दगी के समय अन्य शुल्क लागू होंगे। इन शुल्कों के साथ-साथ फ्रेट आदि भी खरीदार के खाते पर होंगे।

4.5 बोलीकर्ताओं को संबंधित ई-नीलामी में विचार करने के लिए आरक्षित मूल्य के बराबर या उससे अधिक मूल्य के लिए बोली लगाने की आवश्यकता है।

4.6 सेवा प्रदाता के पोर्टल पर क्लोजिंग टाइम सहित ई - नीलामी की तारीख, समय, और अवधि जैसा कि पूर्व में अधिसूचित किया गया है, का भी पालन किया जाना चाहिए। तथापि अंतिम बोली तक ई-नीलामी का क्लोजिंग टाइम स्वत: 5 मिनिट तक से बढ़ाया जाएगा ताकि अन्य बोलीदाताओं को उस पर एक बेहतर बोली बनाने के लिए अवसर दिया जा सके।

4.7 बोलीदाता सामान्य ई-नीलामी अवधि के दौरान अपनी बोली मूल्य में रु. 10/- (दस रूपए) प्रति टन की वृद्धि में की पेशकश करेगा। पहले दो (2) घंटे की विस्तारित अवधि के दौरान, बोलीदाता अपने बोली मूल्य को 20 रुपये की बढ़ोतरी में पेश करेगा। इस दो घंटे की विस्तारित अवधि से परे बोली की कीमतों में केवल रु. 50 बढ़ोतरी होगी।

4.8 बोलीदाता की पहचान की गोपनीयता को बनाए रखते हुए, वेब साइट पर उस समय सबसे कम सफल बोली मूल्य को पंजीकृत और स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा।

4.9 सफल बोलीदाताओं को निर्धारित करते समय निम्नलिखित मानदंडों को अपनाया जाएगा:-

(क) जब तक पेशकश की मात्रा आवंटन के लिए उपलब्ध है, सबसे अधिक बोली मूल्य को पूर्ववर्ती अवरोही क्रम में (एच 1, एच 2, एच 3) के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) यदि दो या अधिक खरीदार एक ही उच्चतम कीमत की बोली लगाते हैं, तो जिसने उच्च मात्रा के लिए बोली लगाई है उसे आवंटन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

(ग) यदि दो या अधिक खरीदार एक ही कीमत और उसी मात्रा की बोली लगाते हैं, तो जिसने पहले अपनी बोली लगाई है उस खरीददार को प्राथमिकता दी जाएगी।

5. **उत्तर ई-नीलामी प्रक्रिया**:-

5.1 प्रत्येक सफल बोलीदाता को ई-नीलामी के समापन के बाद सेवा प्रदाता द्वारा उसी तारीख ओ ई-मेल/ एसएमएस के जरिए सूचित किया जाएगा। हालांकि, यह बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी की वह ई-नीलामी के समापन के बाद उसी तारीख को व्यक्तिगत रूप से वेबसाइट पर प्रदर्शित परिणाम देखे व डाउनलोड करे।

5.2 ई-नीलामी के बाद सफल बोलीकर्ताओं को ई-नीलामी की समाप्ति के बाद, सात कार्य दिवसों के भीतर संबंधित कोयला कंपनी के साथ कोयला मूल्य जमा करने की आवश्यकता होगी। कोयला कंपनियों के कार्यालय जहां भुगतान / जमा करना आवश्यक है के संबंधित कार्यालयों के लिए सात कार्य दिवसों को लागू किया जाएगा।

5.3 सफल बोली संख्या से संबंधित सफल बोलीदाता के ईएमडी की समतुल्य राशि को अवरुद्ध कर दिया जाएगा और सेवा प्रदाता द्वारा कोयला कंपनी को सफल बोलीदाताओं के संबंध में बोली पत्रक के साथ स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

6. भुगतान की शर्तें:-

6.1 सफल बोलीदाताओं द्वारा अग्रिम में जमा किए जाने वाले कोयला मूल्य को सफल बोली मात्रा के लिए ईएमडी राशि जो की सेवा प्रदाता द्वारा अनुषंगी कंपनियों को पहले ही स्थानांतरित कर दी गई है के लिए प्रावधान करने के बाद गणना व जमा की जाएगी। दूसरे शब्दों में, जमा किया जानेवाला कोयला मूल्य और ईएमडी राशि एक साथ 100% कोयले के मूल्य के बराबर होगी।

6.2 सफल बोलीदाता कोयले का मूल्य जमा करते समय बोली मूल्य का 0.7% अन्य वैधानिक शुल्क के साथ एक अतिरिक्त तत्व के रूप में जमा करेगा।

6.3 ईएमडी राशि को कोयले के मूल्य के प्रति समायोजन के रूप में नहीं माना जाएगा बल्कि उपरोक्त लेनदेन पूरा होने की दिशा में वह 'सुरक्षा जमा' के रुप में बोलीदाताओं के प्रदर्शन के लिए बनी रहेगी।

6.4 सुरक्षा जमा राशि को छोड़कर भुगतान किए गए कोयला मूल्य के तहत कोयला उठाव के पूर्ण होने पर उपरोक्त सुरक्षा जमा राशि (ईएमडी राशि से यथा परिवर्तित) कोयला मूल्य के रूप में समायोजित की जाएगी। हालांकि, बोलीदाता द्वारा प्रदर्शन में दोष की स्थिति में निर्धारित राशि के अनुसार 'सुरक्षा जमा' (ईएमडी से रूपांतरित होने पर) को जब्त करने का प्रावधान लागू होगा।

6.5 उपरोक्त सड़क आपूर्ति के मामले में, एक बार जब मांग ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के जरिए बैंक द्वारा जारी डेबिट एडवाइस के साथ यह प्रमाणित करते हुए कि खाते को डेबिट करके डीडी /पे ऑर्डर / आरटीजीएस मोड जारी

किया गया है, कोयले का मूल्य संबंधित कंपनी के पक्ष में जमा हो जाता है, तो कंपनी सात दिनों के भीतर खरीदार के वित्तीय साधन की नकद लेन देन के बाद बिक्री/डिलिवरी आदेश जारी किया जाएगा।

सफल बोलीदाताओं के मामले में, यदि कोयला मूल्य आवंटित राशि से 50% से नीचे नहीं, या 50 टन जो भी अधिक हो उपरोक्त राशि आ भुगतान कोयला कंपनी द्वारा स्वीकार किया जाएगा तथा असफल ईएमडी को जब्त करेगी। हालांकि, कंपनी ने उक्त राशि के लिए भुगतान स्वीकार करेगी और असफल मात्रा के लिए ईएमडी जब्त करगी। हालांकि यदि खरीददार आवंटित मात्रा का कम से कम 50% या या 50 टन जो भी अधिक हो कोयला मूल्य जमा करने में असफल रहता है तो आवंटित मात्रा का संपूर्ण ईएमडी जब्त हो जाएगा।

6.6 हालांकि, एक सफल बोलीदाता को जिसकी आबंटित मात्रा केवल 50 टन है 7 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर न्यूनतम 90% यानी 45 टन के लिए कोयला मूल्य जमा करने की उसे अनुमति दी जाएगी जिसके बिना राशि स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसी स्थिति में उन्हें 3 (तीन) कार्य दिवसों की अवधि के भीतर कुल के 50 टन कोयला मूल्य के 10% तक जमा करने कि अनुमति होगी। इस के बावजूद, 50 टन के कोयला मूल्य जमा करने मे असफल होते है तो 50 टन के कुल ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

6.7 रेल से आपूर्ति के मामले में दो विकल्प उपलब्ध होंगे। कार्यक्रम प्रस्तुत करते समय संबंधित कोयला कंपनी के पक्ष में मांग ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के जरिए बैंक द्वारा जारी डेबिट एडवाइस के साथ यह प्रमाणित करते हुए कि खाते को डेबिट करके डीडी /पे ऑर्डर / आरटीजीएस मोड जारी किया गया है, कोयले का मूल्य संबंधित कंपनी के पक्ष में अपने विकल्प से बोलीदाता निर्धारित प्रारूप में या खरीदार के खाते से 100% बीजी को जमा कर सकते हैं या फिर डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के जरिए 100% रकम जमा कर सकते हैं।

6.7 उन खरीदारों के मामले में, जिन्होंने बीजी के माध्यम से अपना रेल कार्यक्रम बुक किया है, एक नोटिस के लिए डीडी / पे ऑर्डर / आरटीजीएस मोड के जरिए कोयले के मूल्य की अमानत कोयला कंपनी के नोटिस बोर्ड पर कम से कम तीन कार्य दिवस तक रेलवे को प्रस्ताव की तिथि से पहले प्रदर्शित होगा। तदनुसार खरीदार को 48 घंटे के भीतर कार्यक्रम में शामिल बीजी डीडी/पे ऑर्डर/आरटीजीएस मोड डेबिट एडवाइस जमा करना आवश्यक होगा। लेकिन किसी भी मामले में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि खरीदार जो बैंक गारंटी सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, को ई-नीलामी से स्वीकृति की वैधता के से 7 कार्य दिवसों के पहले कोयले का मूल्य जमा करने की आवश्यकता हैं। ईएमडी को जमा करने में असफल होने के मामले में जमा किए गए ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा। सभी खरीदारों को बोली लगाने से पहले प्रस्तावित ई-नीलामी के लिए उपलब्ध सामग्री का निरीक्षण कर गुणवत्ता, आकार और अन्य पक्षों से खुद को संतुष्ट करना चाहिए।

उपरोक्त खंड 6.7 के अनुसार बोलीदाता द्वारा 100% कोयला मूल्य जमा न करने पर कंपनी द्वारा रेक प्रोग्राम के लिए दी गई सहमति को वापस लिया जाएगा और ई-नीलामी योजना के अनुसार ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

6.8 कोयला कंपनियों में एक बार सिस्टम विकसित हो जाए तो खरीदार के पास भी ई-पेमेंट का विकल्प होगा और उसे वेबसाइट पर तदनुसार अधिसूचित किया जाएगा।

6.9 सफल खरीदार से अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक 3 डिमांड ड्राफ्ट में ही कोयले का मूल्य जमा करें। खरीदार की ओर से 3 से अधिक डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किए जाएंगे और वैधता अवधि के भीतर कोयला मूल्य जमा करने में विफल होने पर ईएमडी जब्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

6.10 उपभोक्ताओं/खरीदारों से अनुरोध किया जाता है कि कोयला उठाने वे मूल रोड डिलिवरी आदेश को कोलियरी में जमा करें। जो कोयले को उठाने के इच्छुक हैं, उन्हें भी उपभोक्ताओं की प्रतिलिपि जमा करने का अनुरोध किया जाता है। वे लोग जो आरडीओ की मूल उपभोक्ता प्रति जमा करने में विफल रहते हैं, जब तक

क्षेत्र/कोलियरी में उसे जमा नहीं करते उन्हे राशि की वापसी प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। सभी उपभोक्ताओं को आरडीओ के पूरा होने या कोलियरी 25 वे सफल माह की वैधता अवधि की समाप्ति के बाद तक कोयला बिल प्राप्त करने भी का अनुरोध किया जाता है।

7. ***कोयला डिलिवरी की प्रक्रिया:***

सड़क द्वारा:

7.1 कोयला कंपनी भुगतान प्राप्ति के बाद खंड 6.4 के अनुसार सफल बोलीकर्ताओं को बिक्री / वितरण आदेश जारी करेगी। खरीदार को कोयला परिवहन के पहले "राज्य के भीतर" या "राज्य के बाहर" का विकल्प प्रस्तुत करना होगा, तदनुसार बिक्री / वितरण डिलिवरी आदेश उसे सूचित करेगा। हालांकि, कोयला कंपनी द्वारा जारी चालान गंतव्य का संकेत देगी।

7.2 सड़क माध्यम से कोयला उठाने की वैधता अवधि बिक्री / वितरण आदेश जारी होने के 45 दिन तक होगी। किसी भी मामले में वैधता अवधि के विस्तार में अनुमति नहीं दी जाएगी।

रेल माध्यम द्वारा :

7.3 रेलवे द्वारा आपूर्ति के मामले में खरीदार की वरिष्ठता "पहले आने वाला पहला" के आधार पर होगी ।

7.4 प्रत्येक रेक के लिए आवंटित मात्रा केवल मात्रा का संकेत है और लोडिंग के अंत में विक्रेता द्वारा वास्तविक वजन के आधार पर वितरण किया जाएगा।

7.5 रेल आपूर्ति के मामले में रेक के आवंटन की मांग के लिए वैधता अवधि कोयला कंपनी द्वारा सहमति जारी करने की तारीख से 45 दिन होगी। एक बार रेक आवंटित हो जाए तो मौजूदा रेलवे नियमों के अनुसार कोयले की आपूर्ति के लिए वैध रहेगी।

7.6 यद्यपि लोडिंग कोयला कंपनी की जिम्मेदारी होगी, लेकिन ओवर लोडिंग, लोडिंग और क्वालिटी से संबंधित किसी भी शिकायत से बचने के लिए खरीददार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि लोडिंग स्थान पर लोड की निगरानी कर सकते है। अधिकृत प्रतिनिधि को सेवा प्रदाता द्वारा जारी पहचान पत्र की फोटोकॉपी के साथ वैध प्राधिकारी पत्र साथ लाना होगा ।

7.7 ***ओवर लोडिंग / अंडर लोडिंग***

(क) किसी भी खेप के लिए रेलवे द्वारा लगाए गए अतिरिक्त लोडिंग के लिए कोई शुल्क माल खरीददार द्वारा देय होगा। हालांकि, तीन (3) लगातार महीनों के दौरान किसी विशेष कोलियरी से अधिक से अधिक लोडिंग की जाती है तो इस आशय के संबंध में खरीदार से सूचना के लिए विक्रेता प्रतिबद्ध है।

(ख) ग्रेड ए, ग्रेड बी, स्टील ग्रेड I, स्टील ग्रेड II, वॉशरी ग्रेड । वॉशरी ग्रेड II, सेमी-कोकिंग ग्रेड I, सेमी-कोकिंग ग्रेड II तथा साफ किया हुआ कोयला के लिए जैसा कि दिखाया गया है, स्टेंसिल्ड वहन क्षमता के अंडर लोडिंग के लिए किसी भी भाड़े के लिए कोई भी भाड़ा माल वैगन पर, ग्रेसर ग्रेड द्वितीय, सेमी-कोकिंग ग्रेड I, सेमी-कोकिंग ग्रेड II और धोया कोयला; तथा स्टेंसिल्ड वहन क्षमता से नीचे जैसा कि वैगन पर दिखाया गया है, कोयले के अन्य सभी ग्रेड के लिए प्लस दो (2) टन विक्रेता द्वारा देय होगा।

(ग) खंड (ख) के अनुसार, वैगनों के अंडर लोडिंग के परिणामस्वरूप अतिरिक्त ढुलाई भाड़ा को बिलों मे समायोजित किया जाएगा। अतिरिक्त भाड़ा बिलों को निम्नानुसार समझा जाएगा।

(i) स्टेंसिल्ड वहन क्षमता के लिए लागू अतिरिक्त भाड़ा, जैसा कि वैगन मे दिखाया गया है ग्रेड ए, ग्रेड बी, स्टील ग्रेड I, स्टील ग्रेड II, वॉशरी ग्रेड । वॉशरी ग्रेड II, सेमी-कोकिंग ग्रेड I, सेमी-कोकिंग ग्रेड II कि लिए वैगन मे लोड किए हुए कोयले वास्तविक रेकॉर्ड के अनुसार भुगतान किए जाने वाले कम भाड़े तथा साफ किए हुए कोयला के बीच अंतर या

(ii) स्टेंसिल्ड वहन क्षमता के लिए लागू अतिरिक्त भाड़ा, जैसा कि वैगन मे दिखाया गया है, कोयले के अन्य सभी ग्रेड के लिए वैगन मे लोड किए हुए कोयले के वास्तविक रेकॉर्ड के अनुसार दो टन के कम भाड़े के बीच अंतर

7.8 लदान स्थल पर अंतिम रूप से वजन होगा और सभी वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए बाध्यकारी होगा।

8 ***<u>असफल बोलीदाताओं को ईएमडी की वापसी: -</u>***

असफल बोलीदाताओं के मामले में, सेवा प्रदाता द्वारा बोलीदाताओं को उंनके अनुरोध पर नीलामी समाप्त होने पर ईएमडी वापस ई जाएगी। यद्यपि अगर ऐसा कोई अनुरोध को प्राप्त नहीं होता तो वह भविष्य में ई-नीलामी में भागीदारी के लिए सेवा प्रदाता ईएमडी को बनाए रखेगा।

9. ***ईएमडी की जब्ती: -***

सफल बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत ईएमडी निम्नलिखित मामलों में जब्ती के लिए उत्तरदायी होगी:-

9.1 यदि ई-ऑक्शन के पूरा होने के बाद, एक सफल बोलीदाता निर्धारित समय में सभी प्रभार सहित कोयला मूल्य भुगतान करने में विफल रहता है तो इस दस्तावेज के खंड 6.4 और 6.5 के प्रावधानों के अनुसार असफल मात्रा के बराबर अनुपातिक ईएमडी जब्त कर ली जाएगी, और/या

9.2 यदि सफल बोलीदाता निर्धारित अवधि में बुक कि गई मात्रा नहीं उठाते हैं तो ग्रेड एफ़ और उससे कम के लिए प्रति टन रु. 400 प्रति टन तथा ग्रेड ई और उससे अधिक के लिए रु. 500 प्रति टन (जैसा कि ईएमडी राशि में परिवर्तित किया गया है) के हिसाब से आनुपातिक सुरक्षा जमा राशि जब्त की जाएगी।

इस तरह की जब्ती को केवल तब ही की जानी चाहिए जब तक न उठाई गई मात्रा का संतुलन समान या उससे अधिक हो अर्थात9 या 10 टन ट्रक लोड न हो जाए।

हालांकि, कोयला कंपनी वैध अवधि के भीतर सफल बोली की पूर्ण अथवा आंशिक मात्रा ऑफर करने मे असफल होती है तो इस तरह की जब्ती जगह नहीं लेगी।

ऐसे मामलों में यदि शेष राशि एक ट्रक लोड/रेक लोड से कम है, तो इस तरह की जब्ती जगह नहीं लेगी।

9.3 यदि खरीदार बुकिंग के बाद आदेश / रेक को रद्द कर देता है, तो रद्द किए गए रेक के लिए ग्रेड एफ़ और उससे कम के लिए प्रति टन रु. 400 प्रति टन तथा ग्रेड ई और उससे अधिक के लिए रु. 500 प्रति टन तो ईएमडी @ 400 रूपये प्रति टन की दर से ईएमडीआई जब्त कर ली जाएगी।

<u>10. कोयला मूल्य की वापसी:</u>

` मूल्य कोयले की आपूर्ति की वैधता अवधि की समाप्ति तथा आवश्यक वाणिज्यिक औपचारिकताओं पूरी करने के बाद न उठाए गए कोयले की मात्रा का शेष कोयला मूल्य जब्ती खंड की शर्तों के अनुसार वापस किया जाएगा। नए उपभोक्ताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे कोयला मूल्य जमा करने के समय आवेदन के साथ जनादेश फॉर्म भी प्रस्तुत करें ताकि यदि कोई रिफंड हो तो ई-भुगतान मोड के माध्यम से जमा किया जा सके।

मैंडेट फॉर्म को एमसीएल की वेबसाइट (Www.mahanadicoal.nic.in और www.mahanadicoal.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है। पुराने उपभोक्ताओं जिन्होने मैंडेट फॉर्म जमा नहीं किया है उनसे भी मैंडेट फॉर्म प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है। अन्यथा 15.12.2008 के बाद कोई धनवापसी की कोई प्रक्रिया नहीं होगी।

11. *<u>सामान्य नियम और शर्तें:-</u>*

11.1 ई-ऑक्शन के तहत खरीदा गया कोयला देश के भीतर उपयोग के लिए है, निर्यात के लिए नहीं।

11.2 योजना की सभी नियम और शर्तों को मजबूती से लागू करना।

11.3 बोलीदाताओं हमेशा अपने ईमेल पते को वैध रखे। खरीदार सेवा प्रदाता से से ईमेल प्राप्त न होने के कारण भुगतान की शर्तों सहित किसी भी मामले मे नियम और शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।

11.4 बोली लगाने वालों को बोली लगाने में किसी भी त्रुटि से बचने के लिए बेहद सावधानी बरतनी चाहिए (चाहे टाइपोग्राफिकल या, अन्यथा) और "बीड" बटन पर क्लिक करके लाइव ई-ऑक्शन बोली प्रस्तुत करने से पहले अपनी बोली को जांचने और सुधारने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। नीलामी के दौरान यदि तत्काल पूर्ववर्ती बोली मूल्य का 50% से अधिक वृद्धिशील बोली मूल्य है, फिर बोलीदाता पंजीकृत होने से पहले सिस्टम बोलीदाता से पुन: पुष्टि करेगा।

11.5 दशमलव में बोली लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। बोलीदाता उनके द्वारा प्रस्तुत बोली(उनके द्वारा प्रस्तुत इसी गलत बोली को भी शामिल कर) से उत्पन्न सभी परिणाम के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा और इस संबंध में सेवा प्रदाता/कोयला कंपनी द्वारा कोई शिकायत/प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा।

11.6 ई-नीलामी से संबंधित मामलों में सीआईएल / कोयला कंपनी के विपणन के प्रभारी निदेशक का निर्णय इस बोलीदाताओं/खरीदारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगी।

11.7 नोटिस में वर्णित मात्रा केवल संकेतक है और कोयले की वास्तविक उत्पादन, कोयला परिवहन आदि में बाधाएं जैसे कारक के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।

11.8 किसी भी खरीदार को कोई भी संयुक्त/तृतीय पक्ष नमूना सुविधा नहीं दी जाएगी। कोयले के आबंटित मात्रा के लिए गैर-उपयुक्तता और/या उप-मानक गुणवत्ता के इनकार पर विवरण स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे।

11.9 कोयला कंपनी/सेवा प्रदाता ई-नीलामी इस के अधीन कोयले की बिक्री किसी भी स्रोत / स्थान से आंशिक या पूरी तरह से किसी भी स्तर पर अपने विवेकाधिकार पर किसी भी कारण बताए बिना रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और किसी भी पार्टी को इस संबंध में दावा करने का कोई भी अधिकार नहीं होगा।

11.10 सीआईएल / कोयला कंपनी को नियमों में संशोधन / सुधार करने तथा किसी भी समय में निहित शर्तों में पूर्ण या आंशिक रूप से दुबारा संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित हैं और किसी भी पार्टी को इस संबंध में दावा करने का कोई भी अधिकार नहीं होगा ।

11.11 प्रत्येक ई-नीलामी के तहत बिक्री एक व्यक्तिगत, स्वतंत्र, अद्वितीय और पूर्ण लेन-देन होगी ।

11.12 किसी भी विवाद की स्थिति में, बोलीदाता / क्रेता को संबंधित कोयला कंपनी के महाप्रबंधक (विक्रय) को लिखित रूप में पुन: प्रस्तुत करना आवश्यक है और ऐसी पुनर्प्रस्तुति से एक माह ए भीतर उसे निपटेंगे। इसके बाद, यदि आवश्यक हो तो संबंधित कोल कंपनी के प्रभारी निदेशा द्वारा मामले का निर्धारण किया जाएगा। इस विल के किसी भी खंड की व्याख्या का स्पष्टीकरण सीआईएल द्वारा दिया जाएगा, जो स्पष्ट और अंतिम के रूप से समझा जाएगा। इस योजना से उत्पन्न सभी विवाद आर्बिट्रेशन एण्ड कोंसिलेशन अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता के माध्यम से विशेष रूप से निपटा जाएगा । मध्यस्थता कलकत्ता में सीआईएल द्वारा अधिसूचित जगह पर आयोजित की जाएगी। मध्यस्थ के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा लिखित अनुरोध पर नियुक्त किया जाएगा। आर्बिट्रेटर द्वारा प्रदान किया गया पुरस्कार अंतिम और सभी पक्षो को मान्य होगा। “(शामिल कोयला कंपनी को उचित रूप से ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता का स्थान और मध्यस्थ का नामांकन अलग-अलग हो सकता है।)”